भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1793

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यकलाप</u>

1793. डा. के. वी. पी. रामचन्द्र राव :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विशेषकर आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में कारपोरेट कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर बल दिए जाने के संबंध में क्या प्रतिक्रिया मिली है; और
(ख) क्या सरकार की कारपोरेट क्षेत्र में सुशासन पद्धतियों की सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने की योजना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रावधान 01.04.2014 से प्रभावी हुए हैं। वर्ष 2014-15 अधिनियम के तहत कंपनियों द्वारा सीएसआर नीतियों के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था। इस अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पात्र कम्पनी के बोर्ड के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर कार्यकलापों की वार्षिक जानकारी देना अनिवार्य है। कंपनियां मंत्रालय में अभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट फाइल कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करने वाली कंपनी द्वारा अपेक्षित फाइलिंग करने के बाद विवरण उपलब्ध होने की आशा है।

(ख): जी, नहीं।

*****